

9m/s
16.03.23

(1072)

MD
17/03/23

ई पत्रावली संख्या- 49101

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)/AFO

17/3/23

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अभियन्ता)

(817)

SSO(P) II

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून:

दिनांक 15 मार्च, 2023

विषय:- भारत की अध्यक्षता में होने वाले G-20 समूह के देशों के कार्यक्रमों का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य में किये जाने हेतु की जाने वाली तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की सम्मिलित लम्बाई 7.475 किमी. एवं लागत, ₹530.88 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹438.89 लाख (रूपये चार करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

SAO(P-1)

18/3/23
श्री प्रेम सिंह नविय्याल
सिस्टम स्टाफ ऑफिसर

19.03.23

- viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्चोरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेन्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/106481/2023 दिनांक 15 मार्च, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 15-03-2023 16:33:08

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

ई पत्रावली संख्या- 49101 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जी20- सम्मेलन2023- के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ओणी ग्राम के आन्तरिक मार्गों का इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सतह सुधार, दीवार, पटरी एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य (विस्तृत आगणन)।	2.725	165.21	0.10
2	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में प्रस्तावित जी20- सम्मेलन2023- के परिपेक्ष में उत्तरकाशी-हर्षिल वाया नरेन्द्र नगर मोटर मार्ग के किमी. 1 में क्षतिग्रस्त दीवारों, सतह सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य (विस्तृत आगणन)	1.00	66.71	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में प्रस्तावित जी20- सम्मेलन2023- के परिपेक्ष में नरेन्द्र नगर-पी.टी.सी. काण्डाखेत मोटर मार्ग के किमी. 1 से 4 में मास्टिक एस्फाल्ट द्वारा सतह सुधार एवं अन्य अवशेष कार्य (विस्तृत आगणन)	3.20	193.06	0.10
4	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में प्रस्तावित जी20- सम्मेलन2023- के परिपेक्ष में पी.टी.सी. के आन्तरिक हैलीपैड जाने हेतु मोटर मार्ग एवं पी.टी.सी. में निर्मित गेस्ट हाउस को जाने वाले एप्रोच मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)	0.550	13.91	0.10
कुल योग :-		7.475	438.89	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/106521/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220044
 आवंटन पत्र दिनांक-15-MAR-2023

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़के
 337-सड़क निर्माण कार्य 03-राज्य सेक्टर
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित) Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		3950000	40000	0	3990000							
योग		3950000	40000	0	3990000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक-293/20 याता0'क'नियोजन-1/2023

दिनांक- 19/03/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।